तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अ... हुक्म जारी हु...
7/5/18	पत्रावली राजुवलोड अदालत कैम्प दौरी रोलसाहबान में पेश हुई पक्षगण हाजिर आई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। चूंकि उत्तरा व किरतारण मूल वाद में आदेश प्रमुख आदि लिये जाने के बाद होगा। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति के विरुद्ध प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होते हैं अतः न्यायालय द्वारा दिनांक 17.2.12 को जारी अस्थाई आदेश पुष्ठ (बकर्ग) किया जाकर विवादित आराजी खसरा नं. 469 वाले ग्राम गोविन्दपुरा हरदयालपुरा तह. रामगढ में से प्रार्थीगण के संभावित विक्रय की भूमि के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अस्थायी नि. 1 ता 11 व 13 को जारिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है पत्रावली पैसल युगा। होना नम्बर से मूल वाद के संलग्न हो। दिनांक हाजा दिनांक 7/5/18 से कैम्प दौरी [illegible] में एकले न्यायालय में	